राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 957/2014
हनुवन्त सिंह राठौड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. अति. मुख्य सचिव, वन सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (HOFF), वन भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, वन भवन सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नीरज बत्रा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से दिया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलार्थी का वह लाभ दिनांक 25.01.1995 से दिया गया, जिसका आदेश दिनांक 13.01.2014 (अनुलग्नक–5) जारी किया गया था। उक्त आदेश में चयनित वेतनमान का लाभ तीन वर्ष आगे किये जाने के कारणों में यह अंकित किया गया कि दिनांक 02.07.1984 से 31.12.1984 एवं वर्ष 1992–93 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर के दण्डादेश दिनांक 30.09.1991 द्वारा पारित परिनिन्दा के दण्ड दिया जाना था। इस प्रकार अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ तीन वर्ष आगे किया जाने का कारण दो प्रतिकूल प्रविष्टियां एवं एक परिनिन्दा का दण्ड होना बताया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि बाद में अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश दिनांक 02.09.2014 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया, जिसमें उक्त लाभ अपीलार्थी को दिनांक 12.11.2006 के स्थान पर 12.11.2010 से दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 4 वर्ष आगे

किया गया है। उनका कथन है कि चयनित वेतनमान का लाभ 4 वर्ष आगे किये जाने के कारणों में तीन वर्ष के सम्बन्ध में वहीं कारण बताये गये है, जो पूर्व में 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में बताया गया था एवं इसके अलावा एक अन्य कारण एक अन्य वर्ष के परिनिन्दा का दण्ड होना बताया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि जब पूर्व में 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ तीन वर्ष आगे किया जा चुका था तो ऐसे में 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ पुनः तीन वर्ष आगे किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में वित्त विभाग परिपत्र दिनांक 09.12.2022 प्रस्तुत किया है।

2. हमने अपीलार्थी के द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ तीन वर्ष बाद से स्वीकृत किया गया था तो ऐसे में पुनः उन्हीं दण्डों के दृष्टिगत अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ पुनः तीन वर्ष आगे किया जाना उचित नहीं है। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.12.2022 में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है :–

> "If a financial upgradation under the ACPS is deferred and not allowed due to non-avaliability of 7 years' satisfactory APAR or adverse remarks in the APAR or due to penalty under Rule 17 of Rajasthan Civil Services (CCA) Rules, 1958 would not have consequential effect on grant of subsequent financial upgradation.
>
> Provided that ACPS is deferred due to penalty under Rule 16 of the Rajasthan Civil Services CCA) Rules, 1958, would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation "

4. उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए हम पाते हैं कि अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ को केवलमात्र एक वर्ष आगे किया जाना चाहिए था। उसे 4 वर्ष पश्चात से स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ जो दिनांक 12.11.2010 से स्वीकृत किया गया था, उसे संशोधित करते हुए

उक्त लाभ दिनांक 12.11.2007 से स्वीकृत किया जाये। उपरोक्त आदेश के आधार पर अपीलार्थी का 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ संशोधित कर आदेश किये जाये एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी अपीलार्थी को दिलाये जाये। अपीलार्थी से पूर्व में उक्त संबंध में यदि किसी प्रकार की कोई वसुली की गई है तो वह राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थी को लौटाई जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)